

21/08/24

जमावती पेक्षा इई। अपीलान्त व अरदान
सं. 8 के वकील उपा। उपाएत अधिवक्ता
से कदम सुनी गई। अपीलान्त अधिवक्ता
से कदम के अपनी अपील में प्रारुत
नष्टों को दोहराते हुए कथन किया कि
वाफ़ास्त खाराजी भौजा ईशदा के व.ब.
899/169 रकबा 03.2456 हेमयर अपीलान्त
के पिता मोहम्मद के नाम से आई हुई थी।
अपीलान्त के पिता मोहम्मद फुज खली की
फौतगी पर पारित नामान्तरकरी सं. 2508
में अपीलान्त व अरदान सं. 1 से 7 का
नाम होना चाहिए था लेकिन बिना कोई
। अधिक जांच किसे अरदान सं. 1 के



अज्ञान...

G

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम नामान्तरकरण पारित किया गया जो
श्वारीय भोजप है।

उत्तरदाता सं. 8 के अधिवक्ता के
आपनी बहस में मथन किया कि उनकी
कोर से पेशा जवाब ही बहस मानी जाती
अपीलान्ट अधिवक्ता के आपनी अपील के
समर्थन में ग्रा. सं. ईटाडिया का प्रमाण पत्र,
अपीलान्ट का आधार कार्ड छापान्टि य अल्प
दस्तावेज पेश किया।

अधिवक्ताओं की बहस पर मथन
किया। पतावली का अधपत्र आवसोकन
किया। उत्तरदाता सं. 8 के द्वारा पेश
जवाब ~~का~~ का आवसोकन किया, जिसके
आधार पर स्पष्ट होता है कि वास्तव
आराजी के संबंध में ग्रा. सं. च्यापत ईटाडा
द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 2508
स्वीकृत दिनांक 05/10/2023 नियमानुसार
सही पारित किया गया, अपीलान्ट की
अपील सारहीन व मकामत तथ्यों पर आधारित
होके से श्वारीय की गली है। पतावली कुशल
मुफ्त दंडर वास्तविक 4 फर ही संख्या के 45
है।

अधिवक्ता अधिकारी
बी. बी. बी.